रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 8469/2013

(एसएलपी (सी) संख्या 12350/2013 से उत्पन्न)

राजस्थान राज्य .....अपीलकर्ता

बनाम

ए. एन. माथुर और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

के साथ

सीए संख्या 8470/2013 @ एसएलपी (सी) संख्या 12351/2013,

सीए संख्या 8471/2013 @एसएलपी (सी) संख्या 12352/2013,

सीए संख्या 8472/2013 @एसएलपी (सी) संख्या 12353/2013,

सीए संख्या 8473/2013 @एसएलपी (सी) संख्या 12354/2013,

सीए संख्या 8474/2013 @एसएलपी (सी) संख्या 12355/2013,

सीए संख्या 8475/2013 @एसएलपी (सी) संख्या 12356/2013,

सीए संख्या 8476/2013 @एसएलपी (सी) संख्या 12357/2013,

सीए संख्या 8477/2013 @एसएलपी (सी) संख्या 12358/2013,

सीए संख्या 8478/2013 @एसएलपी (सी) संख्या 12361/2013,

सीए संख्या 8479/2013 @एसएलपी (सी) संख्या 12362/2013,

सीए संख्या 8480/2013 @एसएलपी (सी) संख्या 14191/2013

सेवानिवृत्ति लाभ- सीपीएफ योजना और पेंशन योजना- कर्मचारी द्वारा सीपीएफ योजना के लिए विलंब से चुना गया विकल्प नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया गया - तदनुसार सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के बाद, कर्मचारी द्वारा पेंशन योजना के लाभ का दावा करना- अभिनिर्धारित किया गया: अपीलार्थी विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यर्थी के विकल्प को निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वीकार कर उसका विशेष पक्ष लिया गया, और इसलिए, उसे इसका अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती- अधिसूचना संख्या पेंशन/RAJAUIC/91/एफ-751 3668-768 दिनांक 17.8.1991

निर्णय

अनिल आर. दवे, न्यायाधीश

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं को अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता-राजस्थान राज्य ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9843/2011 दिनांक 19 जुलाई, 2012 के अंतर्गत डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 431/2012 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से व्यथित होकर अपीलों का वर्तमान सेट दायर किया है।

3. चूंकि सभी अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुईं हैं, सभी अपीलों की सुनवाई संबंधित पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन पर एक साथ की गई थी।

4. संक्षेप में, वर्तमान मुकदमे को उत्पन्न करने वाले तथ्य निम्नानुसार हैं:

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जिसे यहाँ इसके बाद 'विश्वविद्यालय'कहा गया है) एक स्वायत्त निकाय है, जो अध्ययन की विभिन्न शाखाओं, विशेष रूप से कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन आदि में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान बनाने का कार्य करता है और इसका गठन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम'कहा गया है) के प्रावधानों के तहत किया गया है। विश्वविद्यालय अन्य प्रत्यर्थियों का नियोक्ता है, जो या तो

विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे और अब सेवानिवृत्त हो गए हैं या वे अभी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।

5. विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना तैयार की थी। तदनुसार, पहले, सेवानिवृत्ति पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि योजना के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में अपना अंशदान और विश्वविद्यालय का अंशदान प्राप्त होता था। 7 दिसम्बर, 2000 को विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा उसने अपने कर्मचारियों को यह विकल्प दिया कि वे या तो अंशदायी भविष्य निधि योजना में बने रहें या पेंशन नियम, 1990 के अंतर्गत पेंशन योजना को चयन करने का विकल्प चुने। कुछ कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प चुना था। विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड ने एक बार फिर 18 दिसम्बर, 2009 को कर्मचारियों से यह विकल्प मांगते हुए एक और प्रस्ताव पारित किया कि क्या वे पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं या अंशदायी भविष्य निधि योजना में बने रहना चाहते हैं। दूसरे प्रस्ताव के अनुसरण में कुछ और कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प चुना था।

6. हालांकि विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित एक स्वायत्त निकाय है, फिर भी यह अपने वित्तीय मामलों में

अपीलकर्ता पर निर्भर है, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में असमर्थ है। अधिनियम की धारा 36 के अनुसार, अपीलकर्ता को विश्वविद्यालय को अपने व्यय, विशेष रूप से अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों से संबंधित व्यय, को पूरा करने के लिए अनुदान प्रदान करना पड़ता है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय को अपीलकर्ता से आवश्यक धन प्राप्त होता है। कई कर्मचारियों द्वारा पेंशन योजना के पक्ष में विकल्प चुनने के कारण, विश्वविद्यालय का वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया था और कथित बोझ को अंततः अपीलकर्ता द्वारा वहन किया जाना था। इस पर ध्यान देना उचित होगा और यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 7 दिसंबर, 2000 और 18 दिसंबर, 2009 के प्रस्तावों के तहत ऐसा विकल्प देने से पहले, विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में योजना को बदलने के बारे में अपीलकर्ता से परामर्श भी नहीं किया था।

7. अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों से अनभिज्ञ था, जिनके तहत उसके कर्मचारियों को पेंशन योजना का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था, लेकिन पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलने पर, अपीलकर्ता ने अपने वित्त विभाग से उचित

विचार-विमर्श के बाद, अपने आदेश दिनांक 3 जून, 2011 के तहत इसे अपना अनुमोदन प्रदान नहीं किया।

8. जब अपीलकर्ता द्वारा जारी आदेश दिनांकित3 जून, 2011 को विश्वविद्यालय को सूचित किया गया था, तो विश्वविद्यालय ने 30 नवंबर, 2011 के एक आदेश द्वारा 7 दिसंबर, 2000 और 18 दिसंबर, 2009 के अपने प्रस्तावों को वापस ले लिया।

9. विश्वविद्यालय द्वारा 30 नवंबर, 2011 को दो प्रस्तावों को वापस लेने के परिणामस्वरूप, जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प चुना था, वे पेंशन योजना के लाभ से वंचित हो गए, और विश्वविद्यालय को कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन करना पड़ा, जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पाने के हकदार थे। कुछ कर्मचारी सेवा में हैं और इसलिए, किसी भी वसूली का कोई सवाल ही नहीं था और विश्वविद्यालय को केवल आवश्यक पुस्तक प्रविष्टियाँ पास करनी पड़ीं।

10. पेंशन योजना को समाप्त किए जाने पर और चूंकि कर्मचारियों को या तो विश्वविद्यालय से प्राप्त पेंशन की राशि वापस करनी थी या उन्हें अंशदायी भविष्य निधि योजना को स्वीकार करना था, उन्होंने कई रिट याचिकाएं दायर करके राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कुछ कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था,

ने भी याचिका दायर कर अनुरोध किया कि उन्हें पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाए, भले ही उन्होने विकल्प चुनने में देर कर दी हो। उक्त रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक साथ सुनवाई की गई थी और 5 अप्रैल, 2012 को एक सामान्य निर्णय द्वारा उक्त सभी रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई थी। उक्त निर्णय के आधार पर अपीलकर्ता- राजस्थान सरकार द्वारा 3 जून, 2011 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प चुना था, उन्हें पेंशन नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाना था।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित होकर, विश्वविद्यालय ने इंट्रा कोर्टअपीलें दायर की और उक्त अपीलों को राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया है और इसलिए, राजस्थान सरकार ने ये अपीलें दायर की हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 36 के अनुसार कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान का भार अंततः राजस्थान राज्य पर आ जाएगा।

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय और राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश

द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता को चुनौती देते हुए मुख्य रूप से कहा था कि विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड ने पेंशन योजना के संबंध में विकल्पों को आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव पारित करके अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अधिनियमों की धारा 38 और 39 के उद्धरण यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

> **"38. कानून-**इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के कानून विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी मामले के लिए उपबंध कर सकेंगे और विशेष रूप से निम्नलिखित का उपबंध करेंगे, अर्थात्:-
>
> 1. से 6. xxx xxx xxx
>
> 7. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन और बीमा योजनाओं की स्थापना और ऐसी योजनाओं के नियम, निबंधन और शर्तें।
>
> 8 से 14. xxx xxx xxx"
>
> **"39. कानून कैसे बने-**

1. इस अधिनियम के अधीन कानून बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे और कुलाधिपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए पेश किए जाएंगे और अनुमति प्राप्त होने और कुलपति द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ही लागू होंगे।

2. किसी भी कानून को कुलाधिपति की सहमति से बोर्ड द्वारा संशोधित या निरसित किया जा सकता है।

3. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी कानून राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।"

13. अधिनियम की धारा 38 स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विश्वविद्यालय स्वयं से संबंधित किसी भी मामले के लिए और विशेष रूप से, उन मामलों के लिए प्रावधान कर सकता है जो अधिनियम की खंड 38 के तहत संदर्भित किए गए हैं। वर्तमान मामले में, हम अधिनियम की धारा 38 के खंड 7 से चिंतित हैं, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन योजना की स्थापना से भी संबंधित है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में कोई भी योजना बनाने या बदलने के लिए स्वतंत्र है।

14. वर्तमान मामले में, विश्वविद्यालय योजना को अंशदायी भविष्य निधि योजना से पेंशन योजना में बदलना चाहता था। विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को या तो पेंशन योजना को चुनने या अंशदायी भविष्य निधि योजना को जारी रखने का विकल्प दिया था और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा दो प्रस्ताव, अर्थात 7 दिसंबर, 2000 और 18 दिसंबर, 2009 के प्रस्ताव,पारित किए गए थे। उक्त प्रक्रिया में विश्वविद्यालय धारा 39 के प्रावधानों पर गौर करने से चूक गया, जो विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के लिए प्रस्तावित संशोधन को कुलाधिपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है और संशोधित अधिनियम विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने और अधिसूचित किए जाने के बाद ही लागू होगा। अधिनियम की धारा 8 सपठित धारा 2 (एच) के प्रावधानों के अनुसार कुलाधिपति राजस्थान राज्य का राज्यपाल होता है।

15. अधिनियम की धारा 39 के पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार, विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के लिए कर्मचारियों से विकल्प मांगने से पहले दिनांक 7 दिसंबर, 2000 और 18 दिसंबर, 2009 के प्रस्तावों को कुलाधिपति अर्थात् राजस्थान राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य था। यदि कुलाधिपति अर्थात् राजस्थान राज्य के राज्यपाल की

सहमति विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं होती है तो संशोधित कानून लागू नहीं होगा।

16. अधिनियम की धारा 39 के उपर्युक्त उपबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विधायिका विश्वविद्यालय पर कुछ नियंत्रण चाहती थी, यद्यपि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय है। इस तरह के नियंत्रण के पीछे कारण यह हो सकता है कि विश्वविद्यालय को अपीलकर्ता द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जैसा कि अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों से देखा जा सकता है। कोई भी वित्तीय दायित्व विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाता है जिसे अंततः राज्य की वित्तीय सहायता से विश्वविद्यालय द्वारा पूरा किया जाना है।

17. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर निवेदन किया था कि अपने कर्मचारियों को विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभ देने के संबंध में योजना में बदलाव पर विचार करने से पहले विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड को कुलाधिपति यानी राजस्थान राज्य के राज्यपाल की सहमति लेनी चाहिए थी क्योंकि बढ़ा हुआ वित्तीय बोझ राजस्थान राज्य द्वारा वहन किया जाना था। इस प्रकार, राजस्थान राज्य की सहमति के बिना, जो अंततः सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान से संबंधित वित्तीय दायित्व से बोझिल होने जा रहा है, विश्वविद्यालय

सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में नीति को नहीं बदल सकता था।

18. जब विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था,के बारे में तथ्य राजस्थान राज्य के संज्ञान में लाए गए, तो उक्त प्रस्तावों पर राजस्थान राज्य द्वारा विधिवत विचार किया गया और जब यह पाया गया कि उक्त प्रस्तावों के कारण राज्य की वित्तीय देयता में बिना किसी उचित कारण के वृद्धि की जा रही थी, तो राज्य को 3 जून, 2011 को आदेश पारित करने के लिए विवश होना पड़ा, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित दोनों प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया था।

19. इस प्रकार, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त किंतु सशक्त निवेदन यह था कि जिस योजना के अधीन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए थे, उसमें किया गया परिवर्तन विधिसम्मत नहीं था या अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं था और इसलिए जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प चुना था, उन्हें पेंशन नहीं दी जा सकती और उन्हें अंशदायी भविष्य निधि योजना में बने रहना होगा। इन परिस्थितियों में, उन्होंने निवेदनकिया कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए और विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करने वाले आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

20. दूसरी ओर, विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गए तर्कों का अप्रतिरोधी समर्थन किया था और उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा था कि इसमें ऊपर निर्दिष्ट दो प्रस्तावों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा कर्मचारियों से विकल्प आमंत्रित करने से पहले कुलाधिपति अर्थात् राजस्थान राज्य के राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

21. प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ओर से अपील का जोरदार विरोध किया गया था।

22. कर्मचारियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावोके तहत निर्धारित अवधि के भीतर पेंशन योजना का विकल्प चुना था और इसलिए, विश्वविद्यालय को उसके बाद नीति में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था।

23. आगे यह निवेदन किया गया कि कुछ प्रत्यर्थी कर्मचारियों ने उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्राप्त करना भी शुरू कर दिया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, समय अवधि समाप्त हो जाने पर सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में योजना में परिवर्तन करना अन्यायपूर्ण होगा और यह उन कर्मचारियों के साथ

अन्याय होगा जो उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आगे यह कहा गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में नीति में किया गया परिवर्तन पूर्वव्यापी प्रकृति का था और इसलिए यह कानूनन गलत था।

24. कर्मचारियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि योजना में परिवर्तन करने से पहले कर्मचारियों को कभी भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और इसलिए, पेंशन योजना को वापस लेने की कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थी।

25. कर्मचारियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय में दिए गए कारणों का समर्थन किया था और यह भी तर्क दिया था कि राजस्थान राज्य में कुछ अन्य विश्वविद्यालय भी अपने कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ दे रहे थे और इसलिए, विश्वविद्यालय की ओर से अपने कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने से रोकने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए उन्होने निवेदन किया कि अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

26. हमने विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और अधिनियम के प्रावधानों, विश्वविद्यालय द्वारा पारित प्रस्तावों के साथ-साथ अपीलार्थी-राज्य द्वारा 3 जून, 2011 को पारित आदेश पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

27. वैधानिक प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी- कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय को बाध्य नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में परिवर्तन को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 39 के तहत आवश्यक है।

28. जैसा कि इसमें ऊपर कहा गया है, यद्यपि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय है, यह अपने वित्तीय मामलों में राजस्थान राज्य पर काफी हद तक निर्भर है। इसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य से पर्याप्त धन प्राप्त होता है और संभवतः उक्त कारण से वित्तीय मामलों में इस पर राज्य का नियंत्रण होता है। चाहे जो भी हो, अधिनियम की धारा 39 के तहत कानून में कोई भी परिवर्तन करने से पहले विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से अनुमोदन या अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

29. अधिनियम की धारा 39 के स्पष्ट और ज़ाहिर उपबंधों के बावजूद, विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड को अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में योजना में परिवर्तन करने से पहले कुलाधिपति अर्थात् राजस्थान राज्य के राज्यपाल की आवश्यक सहमति

नहीं मिली। योजना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय पर एक बड़ी वित्तीय देनदारी होगी, जिसे अंततः अपीलकर्ता- राजस्थान राज्य को वहन करना होगा। यदि विश्वविद्यालय को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती और वह अपने वित्तीय मामलों में राजस्थान राज्य पर निर्भर नहीं होता तो संभवतः अधिनियम की धारा 39 को अधिनियम में उस रूप में शामिल नहीं किया गया होता जिस रूप में यह वर्तमान में है। जब अपीलकर्ता किसी न किसी रूप में अनुदान या वित्तीय सहायता देकर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कर रहा है, तो वित्तीय मामलों में विश्वविद्यालय पर राज्य का नियंत्रण पूरी तरह से न्यायोचित है। विश्वविद्यालय कुलाधिपति अर्थात राजस्थान राज्य के राज्यपाल की सहमति के बिना अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों को भारी वित्तीय लाभ देने का एकतरफा फैसला नहीं कर सकता है।

30. राजस्थान सरकार द्वारा 3 जून, 2011 को पारित आदेश की विषयवस्तु से यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के मामले में अपनाई गई नीति के कारण विश्वविद्यालय पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा और अंततः उस बोझ को राजस्थान राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। चूंकि विश्वविद्यालय ने अधिनियम की धारा 39 का उल्लंघन करते हुए अपने

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ देने के तरीके को बदलने के लिए उन्हें एक विकल्प देने का निर्णय लिया था, इसलिए राजस्थान राज्य विश्वविद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तन को अस्वीकार करने का हकदार था।

31. उपरोक्त कारणों से, अपीलकर्ता द्वारा 3 जून, 2011 को पारित आदेश, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि योजना को पेंशन योजना में बदलने के लिए विकल्प देने हेतु पारित दोनों प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया था, हमारी राय में आत्यन्तिक रूप से न्यायसंगत और कानूनी हैं। इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता- राजस्थान राज्य द्वारा 3 जून, 2011 को पारित आदेश को रद्द करना सही नहीं था।

32. कर्मचारियों की ओर से यह निवेदन किया गया था कि राजस्थान राज्य में कुछ अन्य विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों को पेंशन दे रहे हैं। चाहे जैसा भी हो, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अलग नियम होते हैं और यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय ने कानून के अनुसार या इसके नियमों और विनियमों के अनुसार एक अलग नीति अपनाई है, तो हम यह नहीं कह सकते कि अपीलकर्ता द्वारा 3 जून, 2011 को पारित आदेश गलत है। हमारे अनुसार, कथित तर्क प्रासंगिक नहीं है और इसलिए, हम कथित तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं।

33. जहां तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के संबंध में निवेदन का संबंध है, हमारी राय में, संबंधित कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर ना देने से विश्वविद्यालय की कार्यवाही अमान्य नहीं हो जाएगी।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक का उल्लंघन इस कार्यवाही को निरर्थक बना देगा, न कि अमान्य ।

34. आइए देखें कि क्या होगा यदि विश्वविद्यालय सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देता है कि क्यों न उनके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को रद्द कर दिया जाए ताकि अंशदायी भविष्य निधि की मूल योजना को बहाल किया जा सके। कर्मचारियों के उत्तरों पर विचार करने के बाद भी, सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय कर्मचारियों को पेंशन देना जारी रख सकता है? इस सवाल का जवाब नकारात्मक होगा। यदि कारण बताओ नोटिस जारी करना मात्र औपचारिकता है, तो हमारी राय में इससे विश्वविद्यालय द्वारा 3 जून, 2011 के आदेश के अनुसरण में लिए गए निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अपीलकर्ता- राज्य द्वारा 3 जून, 2011 को पारित आदेश आत्यन्तिक रूप कानूनी है और उक्त आदेश के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिसंबर, 2000 और 18 दिसंबर, 2009 को पारित प्रस्ताव रद्द कर दिए गए हैं।

35. उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि यदि कर्मचारियों को कोई नोटिस नहीं भी दिया गया था, तो भी विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय कानूनन गलत नहीं है।

36. उपर्युक्त परिस्थितियों में, हम राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हैं, जिसने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा है। अपीलकर्ता- राज्य द्वारा 3 जून, 2011 को पारित आदेश लागू होगा और कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि योजना के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाएगा, जो 7 दिसंबर, 2000 से पहले लागू था। जहां तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संबंध है, उन्हें उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में पेंशन का भुगतान किया गया होगा। चूंकि सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए कुछ वित्तीय समायोजन करने होंगे और संभवतः कुछ कर्मचारियों से कुछ वसूली होगी। हम स्पष्ट करते हैं कि पूरी राशि के समग्र समायोजन पर, यदि किसी कर्मचारी को विशेष मामले के रूप में कोई राशि विश्वविद्यालय को लौटानी है, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कोई मांग नहीं की जाएगी कि कर्मचारी बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुका होगा और उन्होंने इस तथ्य को जानने के बाद अपने वित्तीय मामलों को समायोजित किया होगा कि उनके पास पेंशन की

नियमित आय थी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा 7 दिसंबर, 2000 को प्रस्ताव पारित करने से पहले, इसके कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान के लिए कोई योजना थी और यदि कुछ कर्मचारियों ने उक्त योजना का विकल्प चुना था, तो इस निर्णय के आधार पर ऐसे कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

37. अपीलों को हर्जे-खर्चे के बारे में बिना किसी आदेश के स्वीकार किया जाता है।

न्यायाधीश (अनिल आर. दवे)

न्यायाधीश (दीपक मिश्रा)

नई दिल्ली।

23 सितंबर, 2013

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।